मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाज़ा, ई–5, अरेरा कॉलोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल – 462016

फोन : 0755–2430154, फेक्स 0755–2981055

ई–मेल-secretary@mperc.nic.in , वेबसाइट– www.mperc.in

वर्ष 2023–24 के लिए दिनांक 28.03.2023 को जारी खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश की मुख्य विशेषताएं

1. विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु रू. 49,530 करोड़ सकल राजस्व की आवश्यकता प्रक्षेपित की गई एवं विद्यमान विद्युत–दर (टैरिफ) पर राजस्व अन्तर की रू. 1537 करोड़ की राशि की भरपाई हेतु वर्तमान विद्युत दरों में 3.20 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया।
2. विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वर्ष 2021–22 की सत्यापन याचिका भी प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा राजस्व अंतर की राशि रू. 3276 करोड़ का दावा किया गया है। हालांकि, विवेकपूर्ण जॉच, उपरांत आयोग द्वारा मात्र रू. 1648 करोड़ के राजस्व अंतर को स्वीकृत किया है।
3. आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु रू. 48,993 करोड़ की सकल राजस्व आवश्यकता को स्वीकार किया है, जिसमें अब तक निर्णीत सभी सत्यापन याचिकाएँ शामिल है। विद्यमान विद्युत–दर (टैरिफ) में राजस्व अन्तर के रूप में रू. 795 करोड़ को आयोग द्वारा मान्य किया गया है। इस अन्तर की भरपाई हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) में मात्र 1.65 % की मामूली वृद्धि स्वीकार की गई है।
4. घरेलू उपभोक्ताओं (एल.वी.1) हेतु न्यूनतम शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।
5. निम्न दाब गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता (एल.वी.–2) तथा निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता (एल.वी.–4) के टैरिफ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
6. उपभोक्ताओं को कोई भी मीटरिंग चार्जेस नहीं लगेंगे।
7. निम्न दाब तथा उच्च दाब उपभोक्ताओं को अग्रिम भुगतान पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की दर को कार्यशील पूँजी पर दी जाने वाली वार्षिक ब्याज दरों से जोड़ा गया है।
8. प्रदेश में मेट्रो रेल के संचालन की सुविधा हेतु पृथक दर श्रेणी–मेट्रो रेल (एच.वी.–9) बनाई गई है।
9. ई–व्हीकल/ई–रिक्शा चार्जिंग स्टेशन (एल.वी.6/एच.वी.8) की विद्युत दरों में से स्थायी प्रभार समाप्त कर दिये गये हैं।
10. ऊर्जा हेतु बैंकिंग की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु व्यस्ततम भार अवधि (पीक पीरियड) को (टाइम आफ डे) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है।
11. आयोग द्वारा हरित ऊर्जा शुल्क (चार्जेस)/दर निम्नानुसार पृथक–पृथक अवधारित करते हुए इसके अधिरोपण की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है :–

    (क) वे उपभोक्ता, जो कि अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से वितरण अनुज्ञप्तिधारी से हरित विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर इस संबंध में प्रमाणीकरण चाहते हैं, हेतु हरित ऊर्जा शुल्क (चार्जेस) व इसके अधिरोपण की प्रक्रिया।

    (ख) वे उपभोक्ता, जो मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतो से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन तथा सह उत्पादन) विनियम 2021 यथा संशोधित, के तारतम्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से हरित विद्युत ऊर्जा क्रय करना चाहते हैं, हेतु हरित विद्युत ऊर्जा शुल्क व इसके अधिरोपण की प्रक्रिया।

इस आदेश के अन्तर्गत उपलब्ध छूटें :–

12. घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिये, उन्हें विद्युत देयक भुगतान ऑन लाईन किये जाने पर 0.5 प्रतिशत की छूट बिना किसी अधिकतम सीमा के उपलब्ध होगी।
13. नवीन तथा विद्यमान उच्च दाब/अति उच्च दाब संयोजनो, विद्यमान निम्नदाब औद्योगिक/गैर घरेलू श्रेणी से तत्सम्बंधित उच्च दाब श्रेणी में परिवर्तित उपभोक्ताओं, कैप्टिव पावर संयंत्र उपभोक्ताओं तथा खुली पहुँच उपभोक्ताओं को प्रयोज्य छूट/प्रोत्साहन दर टैरिफ आदेश में दर्शाये अनुसार उपलब्ध होगी।
14. पूर्व–भुगतान (प्रीपेड) मीटरिंग, अग्रिम देयक भुगतान, त्वरित देयक भुगतानों, ऑन लाइन भुगतान, भार कारक (लोड फेक्टर), ऊर्जा कारक (पॉवर फेक्टर) तथा टाइम ऑफ डे पर छूट/प्रोत्साहन दर टैरिफ आदेश में दर्शाये अनुसार उपलब्ध होगी।

सम्पूर्ण टैरिफ आदेश आयोग की वेबसाइट (www.mperc.in) पर उपलब्ध है।

सचिव
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग